न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 36/2022 निर्णय दिनांक :–16.12.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. धारा सिंह पुत्र भंवरलाल उम्र 29 साल जाति जाट, बालिग निवासी दूनी, तहसील दूनी जिला–टोंक राज0
2. जीतराम पुत्र भंवरलाल उम्र 22 साल जाति जाट, बालिग निवासी दूनी, तहसील दूनी जिला–टोंक राज0

–प्रार्थीगण –

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र बेजनाथ जाति जाट, बालिग निवासी दूनी, तहसील दूनी जिला–टोंक राज0
2. भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट, बालिग निवासी दूनी, तहसील दूनी जिला–टोंक राज0
3. तहसीलदार दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक राज0
4. उपपंजीयक अधिकारी दूनी

– प्रतिपक्षीगण –

उपस्थिति :–

श्री प्रेमचन्द जैन
श्री अनिल चौहान

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी न० 1 व 2 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है, बेजनाथ जाट निवासी दूनी प्रार्थीगण उत्तराधिकारीगण है। आराजी खसरा न0 4016 रकबा 1.20 है0, ख. नं. 4017 रकबा रकबा 0.95 है0, ख0 नं0 4166 रकबा 0.06 हेक्टर, ख0 नं0 4167 रकबा 3.27 है0, ख0 नं0 4168 रकबा 2.80 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 8.2800 हेक्टयर ग्राम दूनी तहसील दूनी व हाल खसरा न0 4948 रकबा 1.47 हेक्टयर ग्राम दूनी मे स्थित है जिसके वर्तमान जमाबन्दीयो मे विपक्षी नं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी में अंकित है। यह भूमि पैतृक/संयुक्त परिवार की है जो कि विपक्षी नं0 1 की स्वअर्जित न होकर उसके अपने पिता बेजनाथ के बाद मिली है। प्रार्थीगण अप्राथी नं0 1 पौत्र व विपक्षी नं0 2 के पुत्र है। प्रार्थीगण अप्रार्थी नं. 1 के पौत्र होने से उक्त वर्णित पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि है जिसमे प्रार्थीगण का जन्मसिद्ध अधिकार है। जिसके तहत प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा तथा 1/4 हिस्सा प्रार्थीगण नं0 1 व 1/4 हिस्सा प्रार्थीगण नं0 2 का है। क्योंकि भूमियाँ बेजनाथ की है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण नं0 1 के साथ सहकृषक,

काबिज काश्तकार है। मौके पर काबिज है और काश्त कर अपना जीवन यापन कर रहे है। प्रार्थीगण अपने हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है। इन भूमियों का आज तक विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी नं0 1 अत्यन्त वृद्ध, बीमार, ग्रामीण, काश्तकार व्यक्ति है, उसके कोई संतान या पत्नि नहीं है, अप्रार्थी न० 1 का अप्रार्थी नं0 2 पुत्र है, प्रार्थीगण उसके पौत्र के समान रहकर समस्त देखरेख सेवा आदि कर रहे हैं, प्रार्थीगण की विपक्षी नं0 1 की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कृषि भूमि आदि पर शांतिपूर्वक काबिज है तथा काश्त कर रहा है। अप्रार्थी नं0 1 पर कोई पारिवारिक, सामाजिक जिम्मेदारी/दायित्व शेष नहीं है, उस पर कोई कर्जा भी नहीं है उसको अपनी जायदाद का किसी प्रकार अन्तरण–खुर्दबुर्द करने की निजी घरेलु विधिक आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी न० 1 अपनी समस्त जिम्मेदारियों का दायित्वों से मुक्त है। उसकी चलने फिरने की भी क्षमता नहीं है। अप्रार्थीगण उसकी सम्पत्ति पर बतौर पौत्र के काबिज है। उक्त भूमियों में शेष 1/2 हिस्सा अन्य सहकृषकों का है उक्त हिस्से बाबत कोई विवाद नहीं है। उनके हिस्से के लिए कोई अनुतोष भी वांछित नहीं है। यह दावा केवल अप्रार्थी न० 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्से के बाबत है, उक्त 1/2 मे प्रार्थीगण के अप्रार्थीगण नं0 1 के साथ बहिस्सा बराबर का हित होने से अप्रार्थीगण नं0 1 के साथ प्रार्थीगण को काबिज रिकोर्डेड खातेदार घोषित करने योग्य है। जिसका हक प्रार्थीगण को प्राप्त है, दावा डिक्री करने योग्य है। अप्रार्थीगण नं0 1 उक्त वर्णित पैतृक, संयुक्त, अविभाजित भूमि को बिना किसी आवश्यकता व अधिकार के शीघ्रता से अन्य के हक में रहन, दान, बेचान, वसियत आदि करने पर आमादा है तथा बिना किसी कारण के प्रार्थीगण को जायदाद से बेदखल, वंचित करने पर आमादा है। इस कारण उसको ताफैसला मूल वाद जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक एवं न्यायसंगत है अन्यथा प्रार्थीगण को अपार हानि होगी, आपस मे कई विवाद तथा झगडे होंगे मुकदमेबाजी बहेगी। अतः प्रार्थना है अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को आराजी खसरा न0 4016 रकबा 1.20 है0, ख०न० 4017 रकबा रकबा 0.06 हेक्टर, ख०न० रकबा 0.95 है0, ख0नं0 4166 4167 रकबा 3.27 है0, ख०न० 4168 रकबा 2.80 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 8.2800 हेक्टयर व खसरा नं0 4948 रकबा 1.47 है0 में ग्राम दूनी तहसील दूनी जिला टोंक मे अप्रार्थी न० 1 के नाम अंकित 1/2 हिस्से मे उसके साथ बहिस्सा बराबर काबिज सहकृषक घोषित किया जावे। वर्तमान जमाबंदियो मे आवश्यक संशोधन किया जावे। विपक्षी नं0 1 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं जरिए एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी के माध्यम से वादग्रस्त भूमि खसरा न0 4016 रकबा 1.20 है0, ख0नं0 4017 रकबा 0.95 है0, ख. नं. 4166 रकबा 0.06 हेक्टर, ख०न० रकबा 0.95 है0, ख०न० 4167 रकबा 3.27 है0, ख०न० 4168 रकबा 2.80 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 8.2800 हेक्टयर व खसरा नं0 4948 रकबा 1.47 है0 1/2 हिस्सा ग्राम दूनी हिस्सा 1/2 मे से किसी भू भाग का अन्य के हक मे किसी

प्रकार रहन, दान, बेचान, वसियत व खुर्द बुर्द नहीं करे, न ही करावे। किसी प्रकार का कोई दस्तावेज निष्पादित या पंजीयन नहीं करावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री अशोक कुमार गुप्ता ने वाद में वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया जो इस प्रकार प्रा0पत्र का वरण नं० 1 जिस प्रकार वर्णित किया गया है, गलत स्वीकार नही है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन,व अपार क्षति के तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल सिद्ध न होकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रबल सिद्ध है । प्रा०पत्र का चरण न० 2 स्वीकार है । प्रा. पत्र का चरण न0 3 में ख०न० सही अंकित किये गये है तथा प्रतिपक्ष न० 1 का 1/2 हिस्सा खातेदारी में होना भी सही अंकित किया गया है शेष जिस प्रकार वर्णित किया गया है, सही है स्वीकार नहीं है। उक्त चरण में वर्णित खसरा नम्बरान प्रतिपक्ष नं0 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है पुश्तैनी आराजियात नही है । प्रा0पत्र का चरण न० 4 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है स्वीकार नही है, विवादित खसरा नम्बरान में प्रार्थीगण का कोई हिस्सा नही बनता है । प्रा०पत्र का चरण न० 5 जिस प्रकार वर्णित किया गया है। गलत है स्वीकार नहीं है । वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नही, बल्कि प्रतिपक्षी नं0 1 का अपने हिस्सेअनुसार मोके पर कब्जा है। प्रा. पत्र का चरण नं0 6 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है। स्वीकार नहीं है । प्रतिपक्षी नं0 1 अत्यन्त वृद्ध, बीमार, व्यक्ति नही है, बल्कि पूर्ण स्वस्थ्य है तथा अपनी खातेदारी की जमीनों को आधोली पर काश्त करता है तथा समय समय पर अपने खेतो पर जाकर सम्भालता है । प्रार्थीगण प्रतिपक्षी नं0 1 की कोई सेवा देखरेख नहीं कर रहे है। प्रतिपक्षी नं. 1 प्रार्थीगण से अलग रहता है तथा प्रतिवादी नं. 1 की पत्नी जीवित है। प्रा. पत्र का चरण नं. 7 बिल्कुल गलत है, स्वीकार नहीं है, प्रतिपक्षी नं. 1 ने स्वयं अपनी समस्त पारिवारिक सामाजिक, जिम्मेदारियो को पूरा किया है और वर्तमान में भी पूरा कर रहा है प्रार्थीगण किसी भी प्रकार का सहयोग प्रतिपक्षी नं० 1 का नहीं करते है। प्रार्थीगण का विवादित आराजियात पर कोई कब्जा नहीं है। प्रा० पत्र का चरण नं० 8 मे 1/2 हिस्सा अन्य सहखातेदारों बद्री पुत्र जगराम जाटव रसालदेवी पत्नी भवरलाल जाट का है। रसालदेवी पत्नी भंवरलाल प्रार्थीगण को माता है जिसका 1/4 हिस्सा है। तथा प्रतिपक्षी नं० 2 भंवरलाल प्रार्थीगण का पिता है प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षी न० 2 अपने पिता व माता से मिलकर यह प्रार्थनापत्र प्रतिपक्षी नं० 1 को जमीन को हड़पने की नियत से पेश किया है जो मय हर्जा–खारिज किये जाने योग्य है । अप्रार्थी संख्या 1 के 1/2 हिस्से में प्रार्थीगण का कोई हिस्सा नही है । प्रार्थना पत्र का चरण नं. 9 बिल्कुल गलत है, स्वीकार नही है। विवादित आराजियात पुश्तैनी आराजियात नहीं है, बल्कि प्रतिपक्षी न० 1 की अर्जित सम्पत्ति है। मोके पर प्रार्थीगण का विवादित आराजियात पर कब्जा नहीं है प्रार्थीगण द्वारा कब्जे का कोई सबूत भी पेश नहीं किया है। कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही । प्रार्थीगण ने उक्त प्रा0 पत्र व वादपत्र प्रतिपक्षी नं0 2

व इनकी माता रसाल देवी से मिलकर प्रतिपक्षी नं० 1 को जेरबार व परेशान करने की नियत से पेश किया है जो मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीगण का पिता है, जिसकी तामिल की आवश्यकता नहीं है। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी ने भी आपति जाहिर नही की। उभयपक्ष अधिवक्ता ने बहस की प्रार्थना की।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। अधिवक्ता प्रतिवादी ने पेरा नं0 4 क्यो अस्वीकार है , लिखा नहीं है, कारण सहित स्पष्टीकरण देना पड़ता है। प्रतिवादी संख्या 1 वृद्ध व्यक्ति है जो कोई उतरदायित्व नहीं निभा सकता है। उक्त भूमि पैतृक भूमि है, जिसको बेचान से पाबन्द करवाने के लिए वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। राशन कार्ड में रामचन्द्र का पुत्र भंवरलाल का अंकन है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को हुबहु दोहराते हुए कथन किया वाद वर्णित आराजी पैतृक भूमि नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रार्थी ने पेश नहीं किये है और न ही सजरा पेश किया है। पेरा नं. 6 में लिखा है सन्तान/पत्नी अप्रार्थी संख्या 1 के नहीं है। जबकि पत्नी अभी भी जिन्दा है। प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अप्रार्थी संख्या 2 के पुत्र है। अधिवक्ता ने सेलडीड पेश की है जिसमें भंवरलाल को जगराम का बेटा बताया है। जगराम रामचन्द्र का बड़ा भाई है। इस तरह से तीनो बिन्दू अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण अनुसार प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 2 की संतान है और अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 की संतान है। अप्रार्थी संख्या 1 अपनी पैतृक भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहता है जिसके लिए प्रार्थीगण ने वाद के साथ, पाबंद करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 1 अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 का प्राकृतिक पुत्र नहीं है और विवादित आराजी पैतृक नहीं है। मुख्य बिन्दू यह है कि उक्त वर्णित आराजी पैतृक है या अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वअर्जित है तथा अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी का पुत्र है अथवा नहीं है। इस बाबत प्रार्थीगण ने राशनकार्ड संख्या 009335501253 की पेश की है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 की फोटो व कम संख्या 1 पर नाम लिखा हुआ हैं। कम संख्या 3 पर अप्रार्थी संख्या 3 व कम संख्या 5 व 6 पर प्रार्थीगण का नाम लिखा हुआ है। भामाशाह कार्ड जिसमें मुखिया रसाल देवी है जिसका ससुर रामचन्द्र है। आधार कार्ड संख्या 487087312741 में अप्रार्थी संख्या 2 भवंरलाल के पिता का नाम रामचन्द्र का अंकन है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र में

6/1.24

भंवरलाल के पिता का नाम रामचन्द्र का अंकन है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा जारी अंक तालिका में भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट का अंकन है। अप्रार्थी संख्या 1 ने पंजीबद्ध दानपत्र दिनांक 27.03.2021 की छायाप्रति पेश की है जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 के पिता का नाम जगराम है। विवादित भूमि पैतृक है अथवा स्वअर्जित है, इस सम्बन्ध में किसी ने कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये है। वर्तमान स्थिति में उक्त दस्तावेज से प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 का पुत्र है। विवादित आराजी की पैतृकता व पिता पुत्रो के बारे में निर्णय नियमित वाद में साक्ष्य, सबूत व गवाह से हो सकेगा। वर्तमान में सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दू व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होते है। ऐसी स्थिति में विवाद की भयावहता को रोकने के लिए अप्रार्थीगण को पाबन्द करना उचित प्रतीत होता है। अतः जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण संख्या 1 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसलावाद पाबन्द किया जाता है कि वह स्वयं, जरिए नौकर, एजेन्ट या अन्य किसी माध्यम विवादित वर्णित आराजी खसरा न0 4016 रकबा 1.20 है0, ख0नं0 4017 रकबा 0.95 है0, ख. नं. 4166 रकबा 0.06 है0, ख0 नं0 4167 रकबा 3.27 है0, ख0 नं0 4168 रकबा 2.80 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 8.2800 है0, खसरा नं0 4948 रकबा 1.47 है0 में 1/2 में से किसी भू भाग का अन्य के हक मे किसी प्रकार रहन, दान, बेचान, वसियत व खुर्द बुर्द नहीं करे और न ही करावे। किसी प्रकार का कोई दस्तावेज निष्पादित या पंजीयन नहीं करावे। मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली वाद के साथ हमफिता हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली